कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

निविदा सम्बन्धी विवरण

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु दर अनुबन्ध (Rate Contract) निविदा के माध्यम से किया जाना है।

क्र0स0	कार्य का नाम
1	कुशल/अकुशल कर्मचारी

उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में निविदा में भागीदारी करने से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है।

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 1000+18% जी0एस0टी0 सहित।
2. निविदा दिनांक 25-6-21 से दिनांक 08-7-21 अपरान्ह 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।
3. इच्छुक फर्म/संस्था अपनी निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 8-7-21 अपरान्ह 2:00 बजे तक निविदा बॉक्स में डाल सकते है।
4. प्राप्त निविदाओ को दिनांक 8-7-21 सांय 3:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोले जाएगें।
5. वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि– तकनीकी निविदा के उपरांत
6. निविदा खोलने का स्थान– नगर निगम हल्द्वानी।
7. निविदा फर्मा कार्यालय अथवा नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम की बेवसाईट www. Nagarnigamhaldwani.in से निविदा फार्म व शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

(चन्द्र सिंह मर्तोलिया)
नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

(डा0 जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला)
महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु दर अनुबन्ध (Rate Contract) किये जाने हेतु शर्तें/शरायतें–

1. निविदा फार्म शुल्क रू0 1000 +18% जी0एस0टी0 अलग से देय होगा। जो नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी के नाम से डाफ्ट्र द्वारा देय होगा। जिसकी मूलप्रति निविदा के साथ सलंग्न करनी अनिवार्य होगी।

2. निविदा के साथ फर्म/टैण्डरदाता को सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में विगत तीन वर्षो में कार्मिक आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए। राज्य सरकार/भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पंजीकृत एजेन्सी को अन्य शर्ते समान होने पर वरियता दी जायेगी।

3. निविदादाता/फर्म को एक माह में प्रतिदिन कम से कम 10 कार्मिकों की पूर्ति करने का अनुभव होना चाहिए।

4. निविदादाता/फर्म को श्रम विभाग में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

5. निगम को उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी पर भुगतान एंव पी0एफ0 एंव अन्य कटौती की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

6. आउटसोर्स के किसी भी कार्मिक के साथ कार्य करते समय कोई दुर्घटना/मुत्यु हो जाती है, तो सम्बन्धी को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि एंव अन्य देय आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि निगम पर कोई देनदारी बनती है, तो उसकी कटौती ठेकेदार को होने वाले भुगतान से कर ली जायेगी।

7. निगम को उपलब्ध कराये गये कार्मिकों द्वारा नगर निगम की सम्पत्ति को नुकसान/चोरी आदि करने तथा होने पर उसकी क्षतिपूर्ति फर्म/निविदादाता के बिल से की जायेगी। सभी कार्मिकों के नाम, पता सहित सूची निगम कार्यालय में प्रेषित करनी होगी।

8. फर्म/निविदादाता को जी0एस0टी0 एंव पैन का प्रमाण–पत्र निविदा में सलंग्न करना अनिवार्य होगा। फर्म/निविदादाता को सर्विस टैक्स भुगतान के अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के आधार पर नगर निगम द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स का भुगतान किया जायेगा।

9. उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये सभी नियमों/प्रचलित अधिनियमों में विर्णयत सुरक्षा नियमों, दुर्घटना आदि से बचाव न होने की स्थिति पूर्ण जिम्मेदारी एंव उससे सम्बन्धित समस्त भुगतान, इलाज एंव मुआवजा आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस मद में यदि कोई जुर्माना नगर निगम हल्द्वानी पर होता है, तो उसे ठेकेदार के बिल/धरोहर राशि से काट लिया जायेगा।

10. यदि फर्म/निविदादाता कार्मिकों के वेतन का भुगतान नही करता है, तो नगर निगम ठेके में निर्धारित मजदूरी का भुगतान सम्बन्धित कार्मिकों को कर भुगतान की गई धनराशि कटौती ठेकेदार के बिलो/देयकों से कर दी जायेगी।

11. कार्य पर लिये जाने वाले किसी भी कार्मिक का चरित्र सदिंग्ध नही होना चाहिए। पुलिस द्वारा प्रमाण–पत्र मॉगने पर ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी। बीमार/कामचोर अथवा अक्षम व्यक्ति को नगर निगम कार्य पर नही लेगा।

Scanned with CamScanner

12. निविदा की अवधिक एक वर्ष की होगी। जिसको घटाने व बढाने का अधिकार कार्य सन्तोषजनक होने पर नगर आयुक्त/मा0 महापौर महोदय का होगा।

13. निविदादाता को निविदा के साथ रु. 25000.00 (पच्चीस हजार रुपये) की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 नगर आयुक्त के नाम बन्धक लगानी अनिवार्य होगी। जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी।

14. निविदादाता/फर्म का विगत तीन वर्षो (2017–18,2018–19,2019–20) का औसत टर्नओवर रु. 30.00 लाख का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15. निविदादाता/फर्म को प्रत्येक माह की समाप्ति पर बिल नगर निगम हल्द्वानी द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराकर लेखा अनुभाग के माध्यम से प्रेषित करेगा।

16. निविदादाता/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक का चिकित्सा प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना होगा।

17. तात्कालिक आवश्यकता एंव अति महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु कार्मिकों की तत्काल आवश्यकता के दृष्टिगत कार्मिकों की मॉग की जा सकती है।

18. साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त अवकाश प्राप्त करने पर दिन के हिसाब से वेतन में कटौती की जायेगी।

19. स्वीकृति निविदादाता को रु. 100.00 (एक सौ रुपये) का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा।

20. कुशल कर्मचारी (लिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाईजर आदि) तथा अकुशल कर्मचारी (चपरासी, मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर, आदि) से सम्बन्धित है।

21. इसके अतिरिक्त निगम की जो शर्त होगी व फर्म/ठेकेदार को मान्य होगी।

22. फर्म/निविदादाता का किसी भी प्रकार के वाद विवाद का निस्तारण नैनीताल जिले के न्यायालय के अधिकार्यता क्षेत्र में होगा।

23. सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

महापौर
नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एंव शर्तो को भली–भॉति पढ लिया गया है, जो मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि

हस्ताक्षर ....
नाम ....
मो0नं0 ....

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी–काठगोदाम

नगर निगम हल्द्वानी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु दर अनुबन्ध (Rate Contract) किये जाने हेतु शर्ते/शरायतें–

वित्तीय निविदा

1. निविदादाता/फर्म/कम्पनी का नाम ....

2. निविदादाता/फर्म/कम्पनी का पता ....

3. फोन नं0 ....

4. ई–मेल ....

क्र0स0	कार्य का नाम	सर्विस चार्ज की दर प्रति कर्मी
1	कुशल कर्मचारी	
2	अकुशल कर्मचारी	

नोट– दरें स्पष्ट (शब्दो व अकों में) लिखे।

निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधि

हस्ताक्षर ....
नाम ....
मो0नं0 ....

Scanned with CamScanner